भा.कृ.अनु.प.-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीछवाल, बीकानेर (राजस्थान) - 334006
(दूरभाष नं.0151-2253123/2250960)

==

निविदा आमंत्रण सूचना

सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली की ओर से निदेशक, भाकृअनुप-केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर की नर्सरी इकाई में लगभग 50000 फलदार एवं स्थानीय पौधों का गंणन कार्य सीमित निविदा के अन्तर्गत करवाने के कार्य हेतु प्रतिष्ठित एजेन्सियॉ/ठेकेदारों से सीमित निविदा आमंत्रित करते है। कार्य की बयाना राशि रु.10,000/- है। विस्तृत निविदा सूचना, पूर्ण विवरण, निविदा प्रपत्र, नियम-शर्ते एवं पूर्ण जानकारी हेतु संस्थान की वैब साईट ciah.icar.gov.in पर देखे जो कि दिनांक 20.02.2023 को सायं 05.00 बजे से उपलब्ध होगी। सीमित निविदा दिनांक 21.02.2023 को मध्यान्ह में 02.00 बजे खोले जावेंगे।

-sd-

प्रशासनिक अधिकारी

भाकृअनुप- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान

श्री गंगानगर राजमार्ग, बीछवाल, बीकानेर 334 006, राजस्थान

ICAR-Central Institute for Arid Horticulture

Sriganganagar Highway, Beechwal Indl. Area Post Office, Bikaner (Raj.)-334006

पत्रावली क्र.: 07(ii)06/CS/MFP/2019-20 दिनांक:

सीमित निविदा प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान निदेशक,
भाकृअनुप- केन्द्रीय शुष्क बागवानी संस्थान
बीछवाल, बीकानेर 334 006

विषय: संस्थान की नर्सरी इकाई में लगभग 50000 फलदार एवं स्थानीय पौधों का गुणन कार्य सीमित निविदा के अन्तर्गत करवाने हेतु।

महोदय,

संस्थान में उपरोक्त कार्य करवाने हेतु पंजीकृत अनुबंधकर्ताओं से कोटेश लेने/ संग्रहित करने हेतु फर्म/ संस्था निम्नलिखित विवरण अनुसार संस्थान में निम्नलिखित कलिकायन कार्य की दर सीलबंद लिफाफे में अनुबंध समिति को देवे।

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कार्य की कुल राशि (कर सहित)
1.	खेजड़ी (20,000), बेर (10,000), आंवला (10000) एवं नींबू वर्गीय (10000) इत्यादि 50000 पौधों का गुणन कार्य करवाने हेतु। कार्य विरण:मीडिया तैयार करना, पॉली बैग भरना, पॉलीबैग को नर्सरी क्यारियों में स्थानान्तरित करना, बीज उपचार, पॉलीबैग में बीज बोना, नवाअंकुर की देखभाल मूलवृन्त पौधों पर कलिकायन कार्य तथा विपणन योग्य आकार लेने तक नवोदित पौधों की देखभाल करना।	

उपरोक्त कार्य को निम्नलिखित नियम व शर्तो के अनुसार फर्म द्वारा पूर्ण किया जायेगा-

1. सभी गतिविधि निर्धारित समय सारिणी अर्थात पॉलीबैग (जनवरी–फरवरी) में, बीज बुवाई (फरवरी–मार्च) पुनः बुवाई, अन्तर–सस्य गतिविधि संचालन, देखभाल–रख–रखाव (मार्च–अप्रेल), बडिंग कार्य (जून–अगस्त) और अगस्त से पौधें देने आरम्भ करना, के भीतर पूरी की जानी चाहिए।
2. संस्थान की नर्सरी इकाई में उपरोक्त पौधों में कलिकायन का कार्य के लिये कलिका एवं अन्य आवश्यक सामग्री पौधशाला इकाई द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी।
3. सभी सफल एवं असफल पौधे संस्थान के होंगे।

4. कलिका संग्रहण का कार्य नर्सरी इकाई के तकनीकी सहायक की देख–रेख में किया जायेगा।

5. मूलवृन्त तैयार एवं कलिकायन का कार्य समय पर ठीक से और सावधानी से किया जाना अनिवार्य है।

6. कलिकायन कार्य जून से अगस्त 2023 के दौरान पूरा किया जाना चाहिये।

7. अनुबंधकर्ता रविवार को छोड़कर सभी दिन सुबह 6.00 बजे से शाम 7.00 बजे तक नर्सरी इकाई में कार्य कर सकता है।

8. यदि अनुबंधकर्ता नियत कार्य के दौरान नर्सरी इकाई के अन्दर रहना चाहता है तो प्रभारी सुरक्षा की अनुमति के साथ रह सकता है।

9. कार्य पूरा होने के बाद सफल पौधों की गणना के अनुसार ही फर्म को भुगतान किया जायेगा।

10. सभी नर्सरी पौधों को उगाने और रख–रखाव के तरीके जैसे– पॉली बैग व्यवस्थित करना, सिंचाई, निराई–गुड़ाई, छिड़काव, नवांकुर को हटाना आदि श्रम/जनशक्ति और उपकरण (कुदाल, नवोदित चाकू, सिकेटियर, आदि) का प्रबंधन ठेकेदार के स्वयं के द्वारा किया जायेगा।

11. जब तक सफल पौधों की गिनती पूरी नहीं हो जाती, तब तक नवोदित पौधों की देखभाल, प्रबंधन और सुरक्षा के लिये ठेकेदार पूरी तरह से जिम्मेदार होगा।

12. भुगतान निम्नलिखित नियमों एवं शर्तों अनुसार जारी किया जायेगा।
(अ) पॉलीबैग को उचित रुप से भरने, बीज बोने, अंकुरण और मूलवृन्त के अपेक्षित ऊंचाई (15–20 सेमी) प्राप्त करने के बाद पहला भुगतान (30 प्रतिशत) जारी किया जायेगा।
(ब) शेष भुगतान (70 प्रतिशत) सफल नवोदित पौधों की अंतिम गणना (सांकुर वृद्धि के 4–6 नोडस) के बाद जारी किया जायेगा।

13. नवोदित पौधों को सौंपने से पहले हुए किसी भी नुकसान (प्राकृतिक, मानव या पशु) के लिये संस्थान उत्तरदायी नहीं होगा।

14. केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा जारी सभी वैधानिक श्रमिक नियमों के पालन करने का उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

15. निविदा औपचारिकताओं को अन्तिम रुप देने के बाद, ठेकेदार द्वारा 15 दिनों के भीतर काम शुरु करना होगा और शर्त संख्या 12 की पूर्ति के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

16. इस संस्थान के सक्षम प्राधिकारी को नियम और शर्त तथा ठेकेदार के कार्य प्रदर्शन के आधार पर कार्य जारी रखने या समाप्त करने का अधिकार होगा।

17. कार्य निर्धारित अवधि में पूरा न कर पाने की स्थिति में पेनल्टी) अर्थ दण्ड (के 10% of Contract value अतिरिक्त भविष्य में संस्थान के किसी भी कार्य के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। इस अनुबंध के संबंधित विवाद होने पर परिषद द्वारा नियुक्त पंच को मामला भेजा जायेगा। पक्ष के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।

18. कार्य का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर प्रभारी नर्सरी के प्रमाणीकरण के अनुसार बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर 30दिन के भीतर नियमानुसार कर दिया जायेगा। बिल पर आयकर विभाग से आवंटित पेन संख्या अंकित की जानी आवश्यक है। ई-भुगतान के लिये निम्नांकित विवरण अनिवार्य है।

Certified that	
1.	Banker name & full address
2.	Bank Code
3.	Computerized complete account number
4.	Telephone & Fax No. of the Banker
5.	IFSC/RTGS/NEFT Code No. of the Bank
6.	Signature & Seal of the Agency

19. अनुबंध की अवधि में स्वयं अनुबंधकर्ता एवं उनके कर्मचारियों के द्वारा संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ शिष्टाचार का व्यवहार करना होगा। कार्य के दौरान ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा संस्थान की सम्पति को नुकसान किया जाता है, तो इसकी भरपाई ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल से की जावेगी।

20. निविदा दाता को भुगतान से संबंधित मैनपावर कानूनों का पुर्णतया पालन करना होगा। उनके द्वारा लगाये जाने वाले मैनपावर के भुगतान की संपूर्ण जिम्मेदारी स्वयं अनुबंधकर्ता की होगी। Minimum wages, as prescribed by the Government of India from time to time should be payable to the personnel deployed by the Contractor for service to the

office. No request for alternative/increase in the total cost once quoted by the Contractor /Agency should be permitted by ICAR-CIAH during the course Contract and incase of increase of Wages by Govt. of India and the agency should be wholly responsible to make payment to deployed personnel from their own resources.

भुगतान से सम्बंधित कोई भी विवाद होने क्लेम प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान ठेकेदार द्वारा किया जावेगा ।

21. एजेंसी द्वारा लगाये जाने वाले कर्मियों द्वारा संस्थान की अचल सम्पत्ति को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जायेगा। इस प्रकार के नुकसान एवं अन्य किसी आपत्तिजनक गतिविधि के लिए एजेंसी उत्तरदायी होगी एवं इसकी वसूली एजेंसी के बिल में से की जावेगी।
22. एजेंसी द्वारा संस्थान में लगाये गये सभी मैनपावर को लेबर कॉन्ट्रेक्ट आई. एस. सभी सुविधाऐं जैसे कि ई. पी. एफ., ई. एस. आई. करनी होगी (यदि लागू हो)
23. कार्यावधि के दौरान यदि किसी कार्मिक के समक्ष किसी भी प्रकार की दूर्घटना घटती है तो लेबर कॉन्ट्रेक्ट रेगुलेशन के अनुसार ठेकेदार/एजेन्सी ही जिम्मेदार होगी।
24. व्यवसाय कर जीसटी सहित अन्य सभी करों इत्यादि के सम्बधित विभाग को भुगतान की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी एवं संस्थान अलग से कोई भुगतान नही करेगा।
25. अनुबंधकर्ता को कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्धारित राशि के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध विलेख के साथ रूपये) 10000.00रू दस हजार मात्र धरोहर राशि के रूप में डीडी ICAR Unit CIAH Bikaner के नाम बनवाकर प्रस्तुत करना होगा।
26. वर्णित कार्य के अनुबंध पर यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसे संस्थान के मुख्यालय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा नियुक्त पंच को सुपुर्द कर दिया जावेगा। पंच के निर्णय को मानने के लिए दोनो पक्ष बाध्य होंगे।

उपरोक्त कार्य सही समय एवं संलग्न शर्तो के अनुसार पूरा किया जायेगा।

फर्म के हस्ताक्षर

नाम-

पता-

मोबाइल नं.-

ई-मेल-